


22/07/20 पत्रावली पेश हुई। पार्टी के वकील उपस्थित।
पार्टी के वकील द्वारा प्राथना पत्र प्रस्तुत कर
निवेदन किया है कि हस्ताक्षर प्रकलन में पार्टी
अब कोई आगामी कार्यवाही करना नहीं चाहता
है। प्रकलन को खारिज किया जाए।

इसने पार्टी वकील द्वारा प्रस्तुत प्राथना पत्र
को अवलोकित किया। पार्टी अपने प्रकलन को अंगी
नहीं चलाता चाहता। पार्टी के वकील ने मुन्सिफ की
प्राथना पत्र को Not Press कर खारिज करने को
निवेदन किया है। अतः प्राथना पत्र Not Press
किये जाने पर इसी Stage पर खारिज किया
जाना है। पत्रावली फंसेल हुआ है। (पा.द. है।)

Not Pressed
A. K. Singh
22-7-20


जिला कलक्टर
भारतपुर (राज.)

अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर.टी.एक्ट मय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212
आर.टी.एक्ट असल अप्रार्थी के विरुद्ध उनवानी भगवानसिंह वगै. बनाम
लक्ष्मीनारायण वगै. दिनांक 03.07.2020 को प्रस्तुत किया गया है जिसमें